9/10/2024

द्वारा दिनांक फरियादी पक्ष द्वारा वकील पार्टी उपस्थित
हैं फरियादी का अवलोकन किया। वकील पार्टी द्वारा
यह मुख्तसिर प्रार्थना - पत्र पीठासीन अधिकारी उपखण्ड
अधिकारी रतूडा के विरुद्ध पेश किया है, दरअसल
में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रतूडा
का स्थानान्तरण हो चुका है ऐसी स्थिति में मुख्तसिर
प्रार्थना - पत्र सारहीन हो चुका है, किसी
वादिनी को आगे चलाते रखने का कोई
औचित्य नहीं है।

अतः प्रकरण में पीठासीन अधिकारी
SDO रतूडा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण
धारा 24 मुख्तसिर सारहीन हो चुकी है। धारा 24
खारिज किया जाता है। कार्यवाही की प्रकृति
बहुत कम समय की कार्यवाही थी। फरियादी पक्ष
मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मांग रहा है
दाविमा पक्ष रिकार्ड हो।

दिनांक कमल कुमार
जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर जैसलमेर
पत्रांक 15/43/24 दिनांक 16/7/24
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को